

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 464-26517/जो.जयपुर/2024/248

दिनांक- 12/4/24

श्री सत्यनारायण गुप्ता
स्थायी केस प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सीकर ।

विषय- अपील संख्या 3042/2023 सुभिता म.स्वा.कार्यकर्ता बनाम सरकार व अन्य
में माननीय अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश की प्रति भिजवाने बाबत
संदर्भ- मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी सीकर का पत्र क्रमांक 07 दिनांक 24.01.2024
के क्रम में ।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि सुभिता म.स्वा.कार्यकर्ता मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर अधीन कार्यरत है, के अधिशेष होने पर
निदेशालय के आदेश क्रमांक 640 दिनांक 03.09.2022 द्वारा इन्हें पीएचसी नागोर में
पदस्थापित किये जाने के विरुद्ध द्वारा मा. उच्च न्यायालय जयपुर एस.बी.सिविल
रिट याचिका संख्या 1323/2022 दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया ।

अपीलार्थिया द्वारा मा. सिविल अपील अधिकरण जयपुर 3042/2023 दायर की गई
जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को निर्णय पारित कर बकाया
भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं । अतः आप मा. अधिकरण द्वारा
पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 की प्रति भिजवावे ताकि प्रकरण में मा. न्यायालय
आदेशों की पालना की जा सके ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 464-26517/जो.जयपुर/2024/248

दिनांक- 12/4/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित को ई-मेल करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

RajKaj Ref
6535593

राजस्थान, जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-04-2024 10:33:03